

प्रेषक,
रवि शंकर मिश्र,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,
निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तर प्रदेश,
इन्दिरा भवन, लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 16 सितम्बर, 2020

विषय- अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार की दिनांक 13.03.2020 को हुई इम्पावर्ड कमेटी की 25वीं बैठक में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पूर्ववर्ती एम.एस.डी.पी.) के अन्तर्गत जनपद-रामपुर के विकास खण्ड-शाहाबाद तथा सैदनगर में स्वीकृत कॉमन सर्विस सेण्टर के निर्माण के लिए केन्द्रांश की प्रथम किश्त एवं उसके सापेक्ष बनने वाले राज्यांश की धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-13/22/2020-एम0एस0डी0पी0-एम0ओ0एम0ए0, दिनांक 30.03.2020 द्वारा जनपद-रामपुर के उक्त विकास खण्डों में स्वीकृत कॉमन सर्विस सेण्टरों के निर्माण के लिए कुल अनुमोदित लागत रू0 280.00 लाख से प्रश्नगत कार्य को करने हेतु उ0प्र0 श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि0, लखनऊ को कार्यदायी संस्था नामित करते हुए कुल अनुमोदित केन्द्रांश रू0 168.00 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में प्राप्त केन्द्रांश रू0 50.40 लाख (रूपये पचास लाख चालीस हजार मात्र) तथा उसके सापेक्ष बनने वाले राज्यांश रू0 33.60 लाख (रूपये तैंतीस लाख साठ हजार मात्र) अर्थात् कुल धनराशि रू0 84.00 लाख (रूपये चौरासी लाख मात्र) योजना के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्राविधानित बजट रू0 2940.00 लाख में से अवमुक्त करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, जिसका विवरण निम्नवत् है :-

| (केन्द्रांश-60, राज्यांश-40) | | | | | | | | (रू0 लाख में) | | |
|------------------------------|--------|---|------|-----------|-------------------------|--------------|----------|---------------------------------|--------------|--|
| क्र | जनपद | योजना | इकाई | इकाई लागत | कुल अनुमोदित केन्द्रांश | कुल राज्यांश | कुल लागत | वर्तमान में अवमुक्त प्रथम किश्त | | वर्तमान में अवमुक्त कुल धनराशि (के0+रा0) |
| | | | | | | | | केन्द्रांश | राज्यांश | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | रामपुर | वि0ख0-शाहाबाद में कॉमन सर्विस सेण्टर का निर्माण | 01 | 140.00 | 84.00 | 56.00 | 140.00 | 25.20 | 16.80 | 42.00 |
| 2 | तदैव | वि0ख0-सैदनगर में कॉमन सर्विस सेण्टर का निर्माण | 01 | 140.00 | 84.00 | 56.00 | 140.00 | 25.20 | 16.80 | 42.00 |
| | | योग | 02 | | 168.00 | 112.00 | 280.00 | 50.40 | 33.60 | 84.00 |

2- अवमुक्त धनराशि का उपभोग निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा:-

- (1)- प्रश्नगत निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन तैयार कर सक्षम स्तर की स्वीकृति प्राप्त करने के साथ-साथ वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-138 में वर्णित व्यवस्थानुसार प्रयोजन पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा तथा अवमुक्त धनराशि को किसी अन्य मद में व्यय नहीं किया जायेगा। बजट मैनुअल नियमों के अन्तर्गत शासन या अन्य अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो, प्राप्त करके ही व्यय किया जायेगा। धनराशि के व्यय में वित्तीय नियमों का पालन किया जायेगा तथा केन्द्र सरकार द्वारा इस वित्त पोषित योजना के सम्बन्ध में लगाई गयी शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (2)- अवमुक्त धनराशि निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा उ0प्र0 श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि0, लखनऊ को हस्तान्तरित की जायेगी। कार्य को अनुमोदित लागत से निर्धारित समयावधि में गुणवत्ता एवं मानक के अनुसार पूर्ण किया जायेगा। यदि इस मद में कोई वृद्धि होती है तो अतिरिक्त धनराशि नहीं दी जायेगी एवं भविष्य में कोई भी पुनरीक्षित आंगणन किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा। निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 एवं कार्यदायी संस्था के मध्य इस आशय का एम0ओ0यू0 (मेमोरेण्डम आफ अण्डर टेकिंग) भी हस्ताक्षरित किया जायेगा।
- (3)- योजना की गाइड लाइन्स तथा शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों एवं सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए धनराशि का आहरण कार्य की वास्तविक आवश्यकतानुसार होगा। निर्माण कार्य में पायी गयी किसी तरह की अनियमितता के लिए कार्यदायी संस्था, उससे सम्बन्धित अधिकारी तथा अन्य सम्बन्धित अधिकारी उत्तरदायी होंगे।
- (4)- निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि प्राप्त नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है। प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।
- (5)- यथावश्यक उत्तर प्रदेश भण्डार क्रय नियमावली के प्राविधानों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय। यदि कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर व्याज अर्जित किया गया है तो उसे निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।
- (6)- कार्य की विशिष्टयाँ, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी निर्माणकारी संस्था की होगी तथा निर्माणकारी संस्था यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समयावधि में ही पूर्ण हो जाय। निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित शिड्यूल रेट एवं विशिष्टियों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय। प्रश्नगत कॉमन सर्विस सेक्टर की डिजाइन वही होगी जो केन्द्र/राज्य सरकार के सम्बन्धित विभाग द्वारा निर्धारित है।

- (7)- परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो। अतः इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यों की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर सम्पादित कराये जा रहे निर्माण कार्यों की मानीटरिंग भी किया जायेगा।
- (8)- धनराशि आहरित कर बैंक आदि में नहीं रखी जायेगी। उपरोक्त तालिका में उल्लिखित परियोजना हेतु निर्गत की जा रही धनराशि को सम्बन्धित मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष उपलब्ध बचत से मिलान करने के उपरान्त ही निदेशालय द्वारा निर्गत किया जायेगा।
- (9)- वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 24.03.2020, 11.04.2020, 07.04.2020, 18.05.2020 एवं दिनांक 23.07.2019 तथा दिनांक 30.03.2018, 24.04.2018, 21.06.2017, 03.08.2017 एवं दिनांक 26.08.2014 के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (10)- लेबर सेस की धनराशि नियमानुसार श्रम विभाग को भुगतान किया जायेगा।
- (11)- कार्यदायी संस्था द्वारा अनुमोदित सीमा तक सेन्टेज चार्ज लिया जायेगा।
- (12)- कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण स्थल पर एक बोर्ड तैयार किया जायेगा, जिस पर योजना के स्वीकृत होने की तिथि, पूर्ण होने की तिथि, लागत, वित्त पोषण के स्रोत तथा लक्ष्य प्राप्त करने की तिथि आदि का अंकन किया जायेगा।
- (13)- अवमुक्त धनराशि के उपभोग में मितव्ययितापूर्ण दृष्टिकोण अपनाते हुए वित्त विभाग के सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- (14)- अनुदान ग्राही द्वारा योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का एक पृथक् खाता मेन्टेन किया जायेगा। अवमुक्त धनराशि पर यदि कार्यदायी संस्था द्वारा ब्याज अर्जित किया गया है तो उसकी वसूली निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा करके उसे राजकोष में जमा कराया जायेगा।
- (15)- अवमुक्त धनराशि के व्यय के उपरान्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी से हस्तान्तरित उपभोग प्रमाण-पत्र, त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट तथा निर्माण कार्य के फोटोग्राफ्स की सूची की दो-दो प्रतियां निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 को उपलब्ध करायी जायेंगी। तदुपरान्त निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित उपभोग प्रमाण-पत्र व उक्त अन्य अभिलेख शासन को उपलब्ध कराये जायेंगे।
- (16)- प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्था को अवमुक्त की जाने वाली धनराशि को वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 24.03.2020 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जाय तथा कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्व में दी गयी धनराशि के 80 प्रतिशत का उपयोग करने के उपरान्त अगले दो माह के लिये पुनः आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित करके दी जाये।

- (17)- वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 07.04.2020 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार इस बात का ध्यान रख जाये कि कार्यदायी संस्था के पास दो माह की आवश्यकता से अधिक धनराशि न हो।
- (18)- निर्माण कार्य निर्विवादित भूमि पर ही किया जायेगा तथा निर्विवादित भूमि की उपलब्धता जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित की जायेगी। सम्बन्धित कार्यदायी संस्था तथा जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी भी यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी विवादित स्थल पर निर्माण कार्य न किया जाय। सम्बन्धित परियोजना हेतु धनराशि जारी करने से पूर्व परियोजना के लिए निर्विवादित एवं उपयुक्त भूमि की उपलब्धता निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण द्वारा सुनिश्चित की जायेगी यदि उपयुक्त/निर्विवादित भूमि पर परियोजना का निर्माण न होने की स्थिति में धनराशि के निष्फल व्यय की स्थिति उत्पन्न होने पर सम्पूर्ण उत्तरदायित्व निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण का होगा।
- (19)- अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
- (20)- उपरोक्त कार्य के सम्बन्ध में सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। अवमुक्त धनराशि से कराये गये कार्यों की गुणवत्ता की पुष्टि जिलाधिकारी द्वारा कर लिया जायेगा तथा शासनादेश में निहित व्यवस्था के अनुसार थर्ड पार्टी का निरीक्षण भी सुनिश्चित कराया जाना जिलाधिकारी, कार्यदायी संस्था एवं सम्बन्धित विभाग का संयुक्त दायित्व होगा। यदि गुणवत्ता में किसी प्रकार की शिकायत आती है तो उसे शासन तथा निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण को सूचित किया जायेगा। तथा प्रथम किश्त के कार्यों की गुणवत्ता रिपोर्ट जिलाधिकारी से प्राप्त करने का दायित्व निदेशालय का होगा।
- 3- उक्त के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्यय के अनुदान संख्या-48 के लेखा शीर्षक-4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-02-समाज कल्याण-800-अन्य व्यय-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0124-प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कामन सर्विस सेन्टर (के0 60-रा0 40-के0+रा0)-24-वृहत् निर्माण कार्य" के नामें डाला जायेगा।
- 4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-4-639/दस-2020, दिनांक 10.09.2020 में प्राप्त सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(रवि शंकर मिश्र)
उप सचिव।

संख्या-1181(1)/बावन-1-2020-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

- 1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
- 3- बजट अधिकारी, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 4- अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार 11वां तल, पर्यावरण भवन, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स लोधी रोड, नई दिल्ली।
- 5- प्रमुख सचिव, सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत कॉमन सर्विस सेण्टर के निर्माण हेतु निर्धारित मानकों का अनुपालन करने एवं गुणवत्तापूर्ण निर्माण सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में अपने स्तर से भी यथावश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने हेतु सम्बन्धित अधिकारी को यथाआवश्यक निर्देश देने का कष्ट करें।
- 6- निदेशक, सम्बन्धित विभाग।
- 7- निदेशक/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत कॉमन सर्विस सेण्टर के निर्माण का समयान्तर्गत एवं गुणवत्तापूर्ण निर्माण सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
- 8- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 9- जिलाधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, रामपुर।
- 10- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 को तीन स्वच्छ प्रति तथा वित्त-ई-4 को 01 प्रति।
- 11- लेखाधिकारी/वेब अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त स्वीकृति अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
- 12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रवि शंकर मिश्र)
उप सचिव।